

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13192/6373

दिनांक :- 15-12-2020

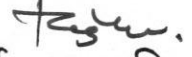
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री दीपिका श्रीमाली [लिंक न. 13192] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएडी एवं एडीपी विभाग, बीकानेर - [8076] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/02/2019 से 07/03/2019 तक 9 दिवस

कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री दीपिका श्रीमाली की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13192/6373

दिनांक :- 15-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार, सीएडी एवं एडीपी विभाग, बीकानेर
2. कोषाधिकारी बीकानेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री दीपिका श्रीमाली [13192] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएडी एवं एडीपी विभाग, बीकानेर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
उप निदेशक (कार्मिक III)